

9/4/25

पत्रावली आज पेश हुई। प्राथमिक व उनके
वकील अनुपस्थित। न्यायालय समय में नक-कक
कर तीन बार आवाने लगाई गई बल्कि प्राथमिक
व उनके अधिवक्ता गैर हाजिर रहे। अतः पत्रावली
गैर हाजिर तथा रिफ्ट फॉरवी में खारिज की
जाती है। पत्रावली फंडल शुमार होकर जाविले
इफ्तार हो तथा नम्बर ले कर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बीहट

